फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत तहसीलदार मुकाम महवा

सरकार बनाम भीमसिंह, भगवान सिंह, रामवीर सिंह पुत्र हरि सिंह राजपूत

नम्बर मुकदमा धारा 91 LR Act नं. 335 सन् 18

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
[illegible]-2-18	पटवारी हल्का की रिपोर्ट दर्ज कर अतिक्रमी को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी कर पत्रावली दिनांक 28.2.18 को पेश हो। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	
28/2/18	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। आज श्रीमान पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है। पत्रावली अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 8/3/18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	(हस्ताक्षर)
8/03/18	आज पत्रावली पेश हुई। आवाज लगवाई ~~लगवाई~~ गई। अतिक्रमी उपस्थित आया है। अतिक्रमियों द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया गया है। अतः ग्राम पीपलिया खालाजी की अतिक्रमित भूमि से अतिक्रमी को भौतिक रूप से बेदखल किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर संलग्न पत्रावली है। (हस्ताक्षर) तहसीलदार तहसील-महवा (दौसा)	(हस्ताक्षर) रामवीर सिंह 8-3-2018

न्यायालय तहसीलदार महवा जिला दौसा (राज.)

प्रकरण नम्बर 334/18 तारीख रजू 19/2/18 रिपोर्ट पटवारी हल्का ढिंढ़ोरा बनाम

श्री भगवानसिंह रामवीरसिंह पुत्र हरीसिंह जाति राजपूत निवासी रौत तहसील महवा

अन्तर्गत धारा 91 राज. भू-राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

दिनांक 8/3/18

आज यह पत्रावली बमुकाम महवा हमारे समक्ष पेश हुई पटवारी हल्का की रिपोर्ट है कि उक्त श्री भगवानसिंह रामवीरसिंह ने ग्राम पीतलिया बालाजी को भूमि ख.न. 838 रकबा 0.10 किस्म गैरमु० रास्ता फसल रबि / ~~खरीफ~~ संवत 2074 में गेहूँ कर अतिक्रमण किया है। इस पर अप्रार्थी के विरूद्ध प्रकरण अंतर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया जो बाद तामिल शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी उपस्थित आया। ~~उसके द्वारा जबाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया~~ उक्त जबाब में उसके द्वारा अपने बचाव मे कोई खास गवाह / सबूत प्रस्तुत नही किया है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी अतिक्रमण की पुष्टि होती है प्रकरण नियमन योग्य नही है। अतिक्रमी दोषी है।

अतः आदेश है कि अप्रार्थी को अतिक्रमित आराजी ख.न. 838 रकबा 0.10 किस्म गैरमु० रास्ता वाके ग्राम पीतलिया बालाजी से बेदखल किया जाता है । तथा अप्रार्थी को अतिक्रमित भूमि के वार्षिक लगान का 4.40 का 50 गुणा 220रु शस्ति से दण्डित किया जाता है । तथा इस पर खडी फसल गेहूँ को निलाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं । भू.अभिलेख निरीक्षक व पटवारी को अप्रार्थी की खडी फसल को ~~नष्ट~~ / नीलाम करने तथा भौतिक रूप से अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने तथा पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश जारी हों । तहसील राजस्व लेखाकार व पटवारी को मांग कायमी वसूली हेतु लिखा जावे । पत्रावली फैसल शुमार हो । नम्बर से कम हो ।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

तहसीलदार
तहसील-महवा (दौसा)

रजिस्टर मा/प के पेज नं० 65 पर
वर्ष 2017-18 में पेशी/...
की राशि 220रु
की जमा कायमी की गई
दिनांक 21/3/18 तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील-महवा